न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 148/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 27.7.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

हनी खण्डेलवाल आत्मज पुरूषोतम खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी ग्राम मोरपा नायब तहसीलदार सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा –राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रामकल्याण शर्मा अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 22.5..2024

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 70/2022 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान हनी खण्डेलवाल बनाम राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा मे पारित निर्णय दिनांक 23.11.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 14.3.2022 को निर्णय पारित कर ग्राम धनसूरी की आराजी ख0 नं0 की राजकीय सिवायचक नहरी प्रवात की भूमि ख0 नं0 148 की 4.01 है0 ख0 नं0 164 की 0.71 है0 ख0 नं0 165 की 0.32 है0 ख0 नं0 197 की 02.19 है0 कुल 7.23 है0 पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर शास्ति राशि 7290/–रूपये अधिरोपित कर फसल जप्त करने व मौके से बेदखल करने का आदेश दिया गया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला अतिरिक्त कलक्टर कोटा मे पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 23.11.2022 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.11.2022 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि वादग्रस्त भूमि को गलत रूप से सीलिग सिवायचक दिखा रखा है उक्त सम्पूर्ण भूमि की व्यवस्था कस्तूरी बाई की तरफ से उसका पौत्र हनी खण्डेलवाल करता चला आ रहा है। उक्त भूमि को सिलिग सिवायचक से हटा कर कस्तूरीबाई के खाते दर्ज करने संबधी सरकार बनाम कस्तूरीबाई की सीलिग पत्रावली मे आवेदन भी पेश कर रखा है लेकिन आज तक उचित आदेश पारित नही किया गया। नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां पेश कर अपीलांट द्वारा सीलिग भूमियो को मुक्त किये जाने हेतु उपजिला कलक्टर दीगोद के यहां आवेदन पेश रखा है जिस पर आज तक कोई आदेश पारित नही किये जाने संबधी कथन किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के कथनो पर किसी भी प्रकार की कोई विवेचना किये बगैर अपील को खारिज कर दिया जो विधि नियमो एंव संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। नायब तहसीलदार द्वारा विस्तृत निर्णय पारित नही कर साईकिलोस्टाईल प्रोफार्मा पर निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा कस्तूरी बाई के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर भूमियों को मुक्त नही किया गया तो इसके लिये कस्तूरीबाई दोषी नही है। अधीनसथ न्यायालय को प्रकरण के संबध मे उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां से वास्तविक रिपोर्ट मंगवानी चाहिये थी ताकि सही स्थिति न्यायालय के समक्ष आ जाती। अतः अपील स्वीकार की

अति. सं. आयुक्त
कोटा

जाकर दौनो अदालत मातहत का निर्णय निरस्त करने तथा विवादित भूमि से अपीलांट को बेदखल नही करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त भूमि को रेकार्ड मे गलत रूप से सीलिग सिवायचक दिखा रखा है वादग्रस्त भूमि की व्यवस्था कस्तूरी बाई की तरफ से उसका पौत्र हनी खण्डेलवाल करता चला आ रहा है। उक्त भूमि को सिलिग सिवायचक से हटा कर कस्तूरीबाई के खाते दर्ज करने संबधी सरकार बनाम कस्तूरीबाई की सीलिग पत्रावली मे आवेदन भी पेश कर रखा है लेकिन आज तक उचित आदेश पारित नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध थे ऐसी सिथति मे अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण के संबध मे उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां से वास्तविक रिपोर्ट मंगवानी चाहिये थी ताकि सही स्थिति न्यायालय के समक्ष आ जाती किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का विवेचन किये बिना अपील को खारिज कर त्रुटि की है। बहस मे आगे बताया कि नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा विस्तृत निर्णय पारित नही कर साईकिलोस्टाईल प्रोफार्मा पर निर्णय पारित किया जो विधिसम्मत नही है। अंत मे निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे बताया कि अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व मे बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया है ऐसी स्थिति निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार सुल्तानपुर तहसील दीगोद द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति मे दिनांक 14.3.2022 निर्णय पारित किया है इससे अपीलार्थी को प्रकरण मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त नही हो सका। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह वर्णित किया है कि अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु उसके द्वारा प्रकरण मे ऐसे कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये जिससे अतिकमित भूमि पर उसका मालिकाना हक साबित हो सके। जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मीमो मे वर्णित किये गये तथ्यों के अवलोकन से सपष्ट होता है कि उक्त भूमि को सीलिग सिवायचक से हटा कर कस्तूरीबाई के खाते दर्ज करने संबधी सरकार बनाम कस्तूरीबाई की सीलिग पत्रावली मे आवेदन पेश करना लेकिन आज तक उचित आदेश पारित नही किया जाना अपीलांट ने वर्णित किया था ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को तथ्यों का समुचित परीक्षण कर न्यायोचित व तथ्यात्मक आदेश पारित किया जाना अपेक्षित था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण किये बिना जेरअपील निर्णय दिनांक 23.11.2022 पारित किया है जिसे हम न्यायोचित नही पाते है। फलत् अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित जेरअपील निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अति0 जिला कलक्टर कोटा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय मे उपरोक्त विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुन :विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(ब्रजमोहन बैरवा) आयुक्त
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा